

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला - सीकर

उपदेश जागिदर बनाम तहसीलदार सीकर ग्रामीण  
 मुकदमा इजराय मु.नं. 26 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र
09/25	<p>वकील प्रार्थी/डिफेंडीदार द्वारा इजराय पालना हेतु न्यायालय में पेश किया गया। इजराय प्रा.पत्र का अवलोकन किया। इजराय हस्तगत न्यायालय के दावा मु.सं. 81/2025 वचनवान उमेश जांगिड आदि बनाम सांवरमल आदि में निर्णय डिफेंडी दिनांक 08.09.2025 की पालना के संबंध में है।</p> <p>अतः प्रकरण इजराय दर्ज रजिस्टर होकर पालना हेतु तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को पत्र लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 25.09.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर</p>
25/09/25	<p>पत्रावली पेश हुई/वकाल उभयपक्ष उपस्थित है P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य में व्यस्त, यात्रा पर/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूरा आदेशानुसार दिनांक 14/11/25 को पेश हो</p>
4/10/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/ डिफेंडीदार उप. पत्रावली वास्ते ई-रिपोर्ट दि. 27/10/25 को पेश हो।</p>
7/11/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/ डिफेंडीदार उप. पत्रावली वास्ते ई-रिपोर्ट दि. 17/12/25 को पेश हो।</p>
7/12/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/ डिफेंडीदार उप. प्रकरण इजराय में वर्धित निर्णय व डिफेंडी की पालना के संबंध में तहसीलदार सीकर ग्रामीण के पत्रावली नं. अ.प.सं. 4106 दि. 17/12/25 के द्वारा पालना की जाकर पालना रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। अतः हस्तगत इजराय में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से हस्तगत पत्रावली की कार्यवाही का इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है। पत्रावली कुलल शुभाड होकर वकालत मील हाथिल पत्रावली हो</p>



उपखण्ड अधिकारी  
धोद जिला-सीकर